Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 25-08-2006
Participants : Pathak Shri Brajesh,Acharia Shri Basudeb,Seal Shri Sudhangshu,Suman Shri Ramji Lal,Athawale Shri Ramdas,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Rana Shri Rabindra,Yadav Shri Devendra Prasad,Yadav Shri Ram Kripal,Singh Shri Ganesh Prasad

an>

Title: Problems faced by cycle riksha pullers due to strictly prohibiting into plying cycle rikshas in MCD areas.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह स्टेट मैटर नहीं है। यह दिल्ली की एमसीडी से संबंधित विाय है। करीब 10 लाख लोग साईकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण-पोाण करते हैं। मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूं, केवल कुछ लाइनें उद्धृत करना चाहता हूं।

> "All the arterial roads of Delhi in MCD should be strictly prohibited into plying of cycle-rickshaws on the pattern of NDMC and a strict legal action should be taken by MCD under municipal bylaws against the violators."

इसका क्या परिणाम होगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे 10 लाख रिक्शा-चालक बेरोजगार हो जाएंगे। दिल्ली के सौन्दर्यकरण के नाम पर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने का काम एमसीडी द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर परिवार पूर्वांचल के हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर उत्तरांचल के लोग ज्यादातर रिक्शा-चालक हैं। आज उनकी रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। जब भारत सरकार लोगों को राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दे रही है तब दिल्ली में सौन्दर्यकरण के नाम पर लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। रिक्शा-चालकों पर प्रतिबंध राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। आज 20 राज्यों में करीब 70 लाख रिक्शा-चालक हैं और अगर इस प्रकार की परम्परा शुरु हो गयी तो 70 लाख रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी। ये रिक्शा-चालक 100 रुपये रोज कमाकर अपने परिवार का भरण-पोाण करते हैं। ये 70 लाख रिक्शा-चालक 70 करोड़ रुपये की आमदनी करते हैं। उनके लिए सरकार को कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, बल्कि वे सरकार को रिक्शा लाइसेंस के बदले कुछ चार्ज अदा करते हैं और सरकार का राजस्व बढ़ाते हैं। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वह हस्तक्षेप करे और गरीब रिक्शा चालकों पर जो प्रतिबंध लग रहा है, उस पर तुरंत विचार करके, एक विधान लाकर संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत सुनिश्चित करे कि गरीब रिक्शा चालक, जो समाज का अंतिम आदमी है, उसकी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विाय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विाय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विाय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विाय से सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली का बहुत बड़ा सवाल है।

MR. SPEAKER: This is not your matter to be raised.

… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली में कांग्रेस सरकार है।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have said it.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Prof. Vijay Kumar Malhotra strongly supports. Shri Brajesh Pathak strongly supports. Shri Basu Deb Acharia supports. They are doing a different thing in Kolkata. Shri Sudhangshu Seal supports. Shri Ramdas Athawale supports. Shri Ramji Lal Suman supports. Shri Ashok Pradhan supports.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Send your names.

*__श्री रबिन्दर कुमार राणा (खगड़िया)__ : महोदय, माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने रिक्शाचालकों की जिस समस्या को उठाया है, मेरा नाम भी उस विाय से सम्बद्ध किया जाये।

*__श्री राम कृपाल यादव (पटना)__ : महोदय, कृपया मेरा नाम भी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाये गये शून्य काल के विाय - रिक्शाचालकों की समस्या - से जोड़ा जाये।

*__श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद)__ : महोदय, मैं अपना नाम श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाये गये विाय से प्रतिबद्ध करता हूं जो दिल्ली के एमसीडी के रिक्शाचालकों के लिये कहा गया है।